

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

रजग

विपक्षी

चन्द्रशेखर

मुकदमा

वाड

पत्रावली संख्या

92A/20

सन्

क

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा
सूचनाएँ जारी की गई


21.4.25

पत्रावली पेश हुई। वादी अनुपस्थित। प्रकरण

लम्बे समय से प्र.पत्र 07R11 के बख्त हेतु नियत ही
वादी को रुक-रुककर कई बार आगजे लगवाई गई
वातजूद कोई उपस्थित नहीं होने के कारण हेतु वादी
अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं तथा वाद चलाना नहीं
चाहते हैं।

अतः वादी के वाद आदेश 4 नियम 8 के तहत
अदम दायरी-अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
प्र.पत्र 07R11 के बिना प्रतिकूल प्रभाव के निरस्त किया
जाता है।

निर्णय लेख जलाम सुनाया गया। प्रकरण फौजल
शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(सोनिश कुमारी)
IAS